



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 003 / अका. / का.प / 2022

रायपुर, दिनांक 28/12/2022

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की इकहत्तरवीं बैठक गुरुवार दिनांक 05.01.2023 को अपराहन 03.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।  
(पृष्ठ क्र 01 से 04 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

टीप: प्रतिवेदन संलग्न।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. डॉ. ए.के. पति, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 27,43,522.00 (रुपए सत्ताईस लाख तिरालिस हजार पाँच सौ बाईस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: डॉ. ए.के. पति, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला दिनांक 31.03.2021 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 27,43,522.00 (रुपए सत्ताईस लाख तिरालिस हजार पाँच सौ बाईस मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. डॉ. रोहित कुमार प्रधान, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 23,10,736.00 (रुपए तेईस लाख दस हजार सात सौ छत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: डॉ. रोहित कुमार प्रधान, प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला दिनांक 30.11.2022 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 23,10,736.00 (रुपए तेईस लाख दस हजार सात सौ छत्तीस मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. डॉ. रोहित कुमार प्रधान, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 21,87,584.00 (रुपए इक्कीस लाख सतासी हजार पाँच सौ चौरासी मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : 1. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/4059/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 31.10.2022 के परिपालन में डॉ. रोहित कुमार प्रधान, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को पात्रतानुसार 240 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. डॉ. रोहित कुमार प्रधान, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 21,87,584.00 (रुपए इक्कीस लाख सतासी हजार पाँच सौ चौरासी मात्र) कार्यपरिषद् के स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान किया गया।

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. श्री रावेन्द्र प्रसाद शुक्ला, टाईमकीपर, गोपनीय विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 07,02,855.00 (रुपए सात लाख दो हजार आठ सौ पचपन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: श्री रावेन्द्र प्रसाद शुक्ला, टाईमकीपर, गोपनीय विभाग दिनांक 31.12.2022 के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 07,02,855.00 (रुपए सात लाख दो हजार आठ सौ पचपन मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त कनिष्ठ अधीक्षक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 5,02,669.00 (रुपए पाँच लाख दो हजार छः सौ उनहत्तर मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : 1. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/3832/सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 12.10.2022 के परिपालन में श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त कनिष्ठ अधीक्षक को पात्रतानुसार 227 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त कनिष्ठ अधीक्षक को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 5,02,669.00 (रुपए पाँच लाख दो हजार छः सौ उनहत्तर मात्र) कार्यपरिषद् के स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान किया गया।

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2022-23 हेतु निर्धारित 36 परीक्षा केंद्रों के अग्रिम प्रदाय राशि रु. 7,05,000/- (सात लाख पाँच हजार मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप :- 36 महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2022-23 हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि रु. 7,05,000/- (सात लाख पांच हजार मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है। (सूची संलग्न)

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

#### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के कार्यादेश क्रमांक 39/विकास/सु.व्य./22 दिनांक 18.01.2022 के अनुक्रम में New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, Rajat Sankul, Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों के सुरक्षा व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है, जो दिनांक 31/12/2022 को समाप्त हो रहा है। अनुबंध की तिथि 01-05-2021 है

विश्वविद्यालय के द्वारा संबंधित फर्म से किए गए "अनुबंध की कंडिका 02" के अनुसार "सुरक्षा निविदा सामान्यतः 01 वर्ष की अवधि हेतु दिया जाएगा। संबंधित फर्म का कार्य संतोषजनक होने पर इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर एक-एक वर्ष कर के अतिरिक्त 02 वर्ष अर्थात् कुल 03 वर्ष के लिए प्रदान किया जा सकता है। "अनुबंध में उल्लेख किया गया है।

New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, Rajat Sankul, Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में किए जा रहे सुरक्षा व्यवस्था कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित फर्म को कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्र वि.वि. के द्वारा प्रदान किया गया है। अतः संबंधित फर्म के सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य अवधि दिनांक 01/01/2023 से 31/12/2023 तक 01 वर्ष के लिए वृद्धि किए जाने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के कार्यादेश क्रमांक 37/विकास/सफाई व्य./2022 दिनांक 18.01.2022 के अनुक्रम में New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, Rajat Sankul, Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है, जो दिनांक 31/12/2022 को समाप्त हो रहा है। अनुबंध की तिथि 25-02-2021 है

विश्वविद्यालय के द्वारा संबंधित फर्म से किए गए "अनुबंध की कंडिका 02" के अनुसार "सफाई निविदा सामान्यतः 01 वर्ष की अवधि हेतु दिया जाएगा। संबंधित फर्म का कार्य संतोषजनक होने पर इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर एक-एक वर्ष कर के अतिरिक्त 02 वर्ष अर्थात् कुल 03 वर्ष के लिए प्रदान किया जा सकता है। "अनुबंध में उल्लेख किया गया है।

New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, Rajat Sankul, Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में किए जा रहे साफ-सफाई व्यवस्था कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित फर्म को कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया गया है। अतः संबंधित फर्म के साफ-सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य अवधि दिनांक 01/01/2023 से 31/12/2023 तक 01 वर्ष के लिए वृद्धि किए जाने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


#### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : हिंदी विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 15.12.2022 के निर्णयानुसार संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 904 /अका./का.प./2022

रायपुर, दिनांक 28/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।



उप कुलसचिव (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 529 / अका. / का.प / 2022

रायपुर, दिनांक 11/11/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सत्तरवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 11.11.2022 को अपराह्न 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति -अध्यक्ष

- |                        |         |                             |         |
|------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1. डॉ. एस.के. प्रसाद   | - सदस्य | 6. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स | - सदस्य |
| 2. डॉ. मधुलिका अग्रवाल | - सदस्य | 7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट  | - सदस्य |
| 3. डॉ. शैलेन्द्र सराफ  | - सदस्य | 8. डॉ. एम.एल. नायक          | - सदस्य |
| 4. डॉ. के.एन. शर्मा    | - सदस्य | 9. श्री सोनाऊ राम नेताम     | - सदस्य |
| 5. डॉ. ममता शर्मा      | - सदस्य |                             |         |

डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, प्रभारी कुलसचिव -सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.10.2022 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।  
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.10.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु चयन समिति गठित करने राजभवन के पत्र क्रमांक एफ 1-3/2022/रास/यू-1 दिनांक 12.10.2022 के परिपालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(2)(i) के अंतर्गत कार्यपरिषद् द्वारा एक व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु चयन समिति में कार्यपरिषद् द्वारा डॉ. ए.टी. दाबके, पदमश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ एवं पूर्व कुलपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) का निर्वाचन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. राज्य शासन के आदेश क्रमांक 709/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 14.10.2022 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.10.2022 से सातवाँ वेतनमान में 28 प्रतिशत से बढ़ा कर 33 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 189 प्रतिशत से बढ़ा कर 201 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश 28/2022 को अंगीकृत करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने विचार करना।  
निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 28/2022, पत्र क्रमांक 709/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 14-10-2022 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई:-

वेतनमान	अवधिय जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.10.2022	5%	33%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.10.2022	12%	201%

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. स्व. डॉ. अमरकांत पाण्डेय, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला का आकस्मिक निधन पश्चात् सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 34,63,044.00 (रुपए चौतीस लाख तिरसठ हजार चवालीस मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।  
निर्णय: अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. विश्वविद्यालय के कला भवन सेमीनार हॉल एवं सी.व्ही. रमन सेमीनार हॉल के लिए 226 नग ऑडिटोरियम चेयर क्रय करने हेतु राशि रु. 31,52,926=00 (रुपए इकत्तीस लाख बावन हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. मानव संसाधन विकास केंद्र के अतिथि गृह (HRDC, Guest House) के कक्षों के वर्तमान दर में संशोधन करने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: विश्वविद्यालय के HRDC, Guest House में कमरा किराया शुल्क में निम्नानुसार संशोधन करने का अनुमोदन किया गया :-

क्र.		वर्तमान दर (प्रति कक्ष/प्रतिदिन)	प्रस्तावित दर (प्रति कक्ष/प्रतिदिन)
1.	परीक्षा, शोध एवं विश्वविद्यालय कार्य के लिए आमंत्रित अतिथियों हेतु	रु. 500.00	रु. 400.00
2.	अन्य विभागों एवं निजी अतिथियों हेतु	रु. 500.00	रु. 600.00

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न 15 भवनों के बाह्य पुताई कार्य हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स संस्कृति इंफ्रा रायपुर द्वारा किए गए कार्य के अंतर्गत प्रथम एवं अंतिम देयक का भुगतान राशि रु. 27,79,170=00 (रुपए सत्ताइस लाख उन्यासी हजार एक सौ सत्तर मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

9. विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न 12 भवनों के बाह्य पुताई कार्य हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स संस्कृति इंफ्रा रायपुर द्वारा किए गए कार्य के अंतर्गत प्रथम चल देयक का भुगतान राशि रु. 18,08,334=00 (रुपए अट्ठारह लाख आठ हजार तीन सौ चौतीस मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय: अनुमोदन किया गया।



वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश 29/2022 पत्र क्रमांक 2135/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार अटल नगर, दिनांक 04.11.2022 के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के पाँचवें किस्त के एरियर्स की राशि माह सितंबर-2017 से जनवरी-2018 तक कुल राशि रूपए 60,72,618/- (रूपए साठ लाख बहत्तर हजार छः सौ अठ्ठारह मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पश्चात् कार्य सत्र 2021-22 का देयक राशि रु. 2,63,07,439.00 (रूपए दो करोड़ तिरसठ लाख सात हजार चार सौ उनचालीस मात्र) के द्वितीय एवं अंतिम भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 21.10.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ 17-110/2022/38-2, दिनांक 10.08.2022 एवं राज्य शासन के पत्र क्र. एफ 17-110/38-2, दिनांक 11.10.2022 के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/अध्यादेश में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ 17-110/2022/38-2, दिनांक 10.08.2022 एवं राज्य शासन के पत्र क्र. एफ 17-110/38-2, दिनांक 11.10.2022 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 के अनुशंसानुसार विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित प्रारूप अध्यादेश का अनुमोदन किया गया।

2. भौतिकी अध्ययनशाला हेतु फर्म, Sai Info Services, No.-14, Phase-1, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) से 09 नग कंप्यूटर क्रय पश्चात् देयक राशि रु. 5,78,449=00 (रूपए पाँच लाख अठहत्तर हजार चार सौ उनचास मात्र) भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।


3. डॉ. एम.एल. नायक, माननीय कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा लिखित पुस्तक 'Biodiversity of Pt. Ravishankar Shukla University, Campus Raipur' को प्रकाशित करने के संबंध में विचार करना।


निर्णय: माननीय कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. एम.एल. नायक द्वारा लिखित पुस्तक 'Biodiversity of Pt. Ravishankar Shukla University, Campus Raipur' को प्रकाशित करने के लिए अनुमानित लागत राशि रु. 1.30 लाख (रूपए एक लाख तीस हजार मात्र) का अनुमोदन किया गया। यह विश्वविद्यालय का प्रकाशन होगा तथा प्रकाशन पश्चात् पुस्तकें विकास विभाग के माध्यम से विक्रय/वितरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(4)

4. विश्वविद्यालय द्वारा सन् 1970 में प्रकाशित 'छत्तीसगढ़ के गाँधी' पुस्तक को पुनर्प्रकाशित करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: विश्वविद्यालय द्वारा सन् 1970 में प्रकाशित 'छत्तीसगढ़ के गाँधी' पुस्तक को पुनर्प्रकाशित करने हेतु अनुमानित लागत राशि रु. 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
प्रभारी कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 530 / अका. / का.प / 2022

रायपुर, दिनांक 11/11/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)



क्र.	केंद्र कोड	परीक्षा केंद्र का नाम	राशि	बैंक का नाम	बैंक खाताक्रमांक	बैंक आई.एफ.एस. सी.कोड	मेबाईल नं.
<u>जिला-रायपुर</u>							
1.	103	शास. जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महा., बैरन बाजार, रायपुर	30,000.00	C.B.of. I	1232734189	CBINO283185	8109971161
2.	104	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर	7,000.00	SBI	10071039361	SBIN0002852	9827141400
3.	107	डॉ. राधाबाई शास. नवीन कन्या महा., पुरानीबस्ती, रायपुर	20,000.00	C.B.of. I	3012000369	CBIN0282321	9424223822
4.	128	शास. कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर	10,000.00	बैंकऑफबड़ौदा	17380100001182	BARBOPANRAI	9425524821
5.	149	आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, डूमरतालाब रायपुर	10,000.00		000101880001465	HDFCOCTRUMC	
6.	158	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर	20,000.00	बैंकऑफबड़ौदा	86880100003006	BARB0DBDHRS	7747011059
7.		सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)	10,000.00	SBI	11301753236	SBIN0001470	
8.	168	बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय, आरंग	20,000.00	SBI	30491357048	SBIN0010828	
9.	169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	15,000.00	SBI	36602924671	SBIN0013487	9425256592
X10.	174	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर।	15,000.00	UBIN	<del>62830201001043</del> 7869201009 23656	<del>UBIN056283</del> BARB0DBDRAI	9406095245
11.	112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर	30,000.00	DENA-अबबैंकऑफबड़ौदा	05100200002242	BARB0RAIPUR	9303377000
12.	115	महंत लक्ष्मीनारायण दासमहाविद्यालय, गाँधीचौक, रायपुर	15,000.00	UTBIN	0926010164627	PUNB0092620	9926655551
13.	118	विप्रकला/वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर	15,000.00	बैंकऑफबड़ौदा	78580200000131	BARBOVJRASN	9406082000
14.	121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा. मेन रोड कचना, रायपुर	20,000.00	विजयाबैंक	78520200001283	BARB0VJRAIP	9893111644
15.	124	दिशा महाविद्यालय, रामनगर, कोटा रोड रायपुर	15,000.00	PUNB	20691131000829	PUNB0206910	9300491034
16.	127	सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर	8,000.00	SBI	77059577411	SBIN0RRCHGB CRGI B0000151	7879837051
17.	175	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)	30,000.00	SBI	35394999727	SBIN0002879	9479136402
18.	170	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाटा, अभनपुर	15,000.00	कार्पोरेशनबैंक	30362439714	SBIN0013487	9926162830
<u>जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा</u>							
19.	201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार	50,000.00	SBI	10910205852	SBIN0001048	9425570037,9 303906614

20.	260	गेविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, रायपुर	30,000.00	SBI	34557388439	SBIN0000329	
21.	203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा	25,000.00	SBI	10721615966	SBIN0000329	
22.	205	राजीवगांधी शासकीय महाविद्यालय, सिमगा	10,000.00	SBI	31092990758	SBIN0010830	
23.	207	शासकीय महाविद्यालय, लवन	30,000.00	SBI	35409449012	SBIN0018181	8103789336,9 926156746
24.	210	शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल	25,000.00	UCO BANK KASDOL	10290100009154	UCBA000102 9	7869221877
25.	212	दुलीचंद जालान कॉलेज, कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलई, पॉली, सरसीवा जिला-बलौदाबाजार	30,000.00	इंडिय नबैंक	6552323510	IDIB000P116	
<b>जिला-गरियाबंद</b>							
26.	251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	10,000.00	SBI	10715519077	SBIN0002879	
27.	253	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)	10,000.00	SBI	11358596627	SBIN0005771	9109345558
28.	305	फणिकेश्वरनाथ शासकीय महा. फिंगेश्वर, गरियाबंद	10,000.00	Union Bank	87500100017601	BARB0DBFI NG	
<b>जिला-महासमुंद</b>							
29.	301	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुंद	15,000.00	SBI	10757274148	SBIN0000416	9425211072
30.	307	चन्द्रपाल डडसेना शासकीय महा., पिथौरा	20,000.00	SBI	11225355902	SBIN0002885	9009382659
31.	309	शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली	10,000.00	SBI	30866663039	SBIN0009750	9424236802
<b>जिला-धमतरी</b>							
32.	351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	30,000.00		50429737172	IDIB000D598	
33.	361	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी (सिहावा)	10,000.00	SBI	30642174316	SBIN0010832	9425510098
34.	362	महर्षि वेदव्यास शासकीय महाविद्यालय, भखारा, धमतरी	30,000.00	SBI	31734012660	SBIN0016190	9424227054
35.	365	संतगुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय, कुरुद	50,000.00	SBI	11655468246	SBIN0010831	9098580128
36.	406	यशवंत राव मेघावाले शास. महाविद्यालय, मगरलोड जिला धमतरी	5,000.00	देनाबैंक	87340100008377	B ARB0DBBH AI	
कुल राशि रूपये			6,85,000.00				

705000.00 का सात लाख पांच हजार  
रुपये मात्र  
20.12.22

DA  
20.12.22

SO

FC



## पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

### विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की इकहत्तरवीं बैठक गुरुवार दिनांक 05.01.2023 को अपराहन 03.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.01.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृ. क्र. 01 से 07 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

#### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-17/2022/38-2 दिनांक 27.12.2022 के अनुक्रम में नवीन **Ordinance No. 197- Four Year Undergraduate Program (FYUP), (Choice Based Credit System Semester Scheme in the Undergraduate Program)** माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित को अंगीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-17/2022/38-2 दिनांक 27.12.2022 के अनुक्रम में नवीन अध्यादेश क्रमांक 197 Four Year Undergraduate Program (FYUP), (Choice Based Credit System Semester Scheme in the Undergraduate Program) को विश्वविद्यालय में लागू किए जाने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमोदन पश्चात् प्रेषित किया गया है। अध्यादेश क्रमांक 197 की प्रति माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

3. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 में पारित, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमोदित नवीन अध्यादेश क्रमांक-197 की कंडिका 5(5.1)(iii) "**Actual credits in each semester may vary as per Appendix-I. The detailed structure of UGCF courses with credit shall be notified by the Univeristy through the Regulation from time to time.**" के अनुक्रम में तैयार नवीन विनियम क्र. 201 के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 में पारित, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमोदित नवीन अध्यादेश क्रमांक-197 की कंडिका 5(5.1)(iii) "**Actual credits in each semester may vary as per Appendix-I. The detailed structure of UGCF courses with credit shall be notified by the Univeristy through the Regulation from time to time.**" के अनुक्रम में नवीन विनियम क्रमांक-201 (The regulation specifies the structure of UGCF courses, credit point and other miscellaneous provisions under the Ordinance 197) की अनुशंसा विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक दिनांक 04.01.2023 में की गई है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

## मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. विश्वविद्यालय के विनियम क्रमांक 184 के अंतर्गत नवीन विनियम 'मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि' के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केंद्र में ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर कोर्स, शार्ट टर्म कोर्स, वर्कशॉप एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित होते हैं। प्रतिभागियों से पंजीयन शुल्क की राशि को मानव संसाधन विकास केंद्र के विकास में उपयोग करने का प्रावधान है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास केंद्र के अतिथि गृह से आय, महाविद्यालय एवं अन्य संस्थानों में कंसलटेंसी तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम से प्राप्त राशि में से भी राशि मानव संसाधन विकास केंद्र के विकास हेतु प्राप्त होती है। क्षेत्रीय आधार पर विचार, शिक्षकों की क्षमता, विकास, विमर्श, सेमिनार, वर्कशॉप कराए जाने की महती आवश्यकता है। विभाग के कायिक निधि विनियम का निर्माण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विनियम क्रमांक-184 के अंतर्गत नवीन विनियम 'मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि' माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

## विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. MS Office Pro Plus 2021 Software क्रय देयक राशि रु. 20,06,000/- (रुपए बीस लाख छः हजार मात्र) भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

टीप : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 के विषय क्रमांक-13 पर विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं/विभागों के लिए MS Office Pro Plus 2021 SNGL OLP NL Acdmc OR Higher क्रय हेतु रु. रु. 20,06,000/- (रुपए बीस लाख छः हजार मात्र) की स्वीकृति प्राप्त है।

उक्त सॉफ्टवेयर Microsoft के Authorised Partner M/s Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) से रु. 8,500=00 GST 18% Extra प्रति नग की दर से 200 नग Microsoft Software Licence आपूर्ति हेतु पत्र क्र. 385/विकास/2022 रायपुर दिनांक 02.09.2022 के द्वारा आदेशित किया गया था।

संबंधित फर्म के द्वारा 200 नग Microsoft Software Licence आपूर्ति करने के पश्चात् देयक क्र. 701 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा रु. 20,06,000/- (रुपए बीस लाख छः हजार मात्र) का भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संबंधित फर्म M/s Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) द्वारा प्रस्तुत देयक के संदर्भ में रु. 20,06,000/- (रुपए बीस लाख छः हजार मात्र) भुगतान किया जा चुका है।

अतः संबंधित फर्म को रु. 20,06,000/- (रुपए बीस लाख छः हजार मात्र) किए गए भुगतान की सूचना माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

6. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए कारपेट, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किए जाने छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से 2 प्रदेश स्तरीय एवं 2 राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

टीप : विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए कारपेट, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु निविदा सूचना क्र. 670/विकास/2022, दिनांक 23.12.2022 छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश स्तरीय एवं 02 राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। जिसका निविदा आवेदन पत्र का मूल्य रु. 1000=00 (रुपए एक हजार मात्र) एवं अमानत राशि रु. 1,20,000=00 (रुपए एक लाख बीस हजार मात्र) है।

अतः विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए कारपेट, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु किए जा रहे कार्यवाही की जानकारी कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

7. सत्र 2022-23 के लिए कार्यालयीन उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु अनुमानित व्यय रु. 20=00 लाख (रुपए बीस लाख मात्र) की निविदा छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

टीप : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अध्ययनशालाओं के लिए सत्र 2022-23 के लिए स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु निविदा सूचना क्र. 664/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 20.12.2022 छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अध्ययनशालाओं के लिए सत्र 2022-23 के लिए स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु अनुमानित व्यय रु. 20=00 लाख (रुपए बीस लाख मात्र) होने की संभावना है। उक्त व्यय Examination & Evaluation Administration (2) (a) Stationery & Printing (including Degree & Exam मद से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सत्र 2022-23 के लिए स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु रु. 20=00 लाख (रुपए बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. **University Examination-Results Automation** कार्य की निविदा सूचना छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश स्तरीय एवं 02 राष्ट्रीय स्तरीय बहुप्रसारित समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई कार्यवाही की सूचना माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के University Examination-Results Automation कार्य हेतु निविदा सूचना No. 639/Dev/2022 Raipur, Date 08/12/2022 को छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश स्तरीय एवं 02 राष्ट्रीय स्तरीय बहुप्रसारित समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया है। निविदा आवेदन प्रपत्रों का मूल्य रु. 5000.00 (रुपए पाँच हजार मात्र) एवं अमानत राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) है।

अतः University Examination-Results Automation संबंधी किए जा रहे कार्यवाही की जानकारी माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

9. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा हेतु लगाए गए 117 नग सी.सी.टी.वी. कैमरा मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु राशि रु. 10,19,588=00 (रुपए दस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ अठ्यासी मात्र) व्यय की स्वीकृति एवं प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय रु. 1,65,672=00 (रुपए एक लाख पैंसठ हजार छः सौ बहत्तर मात्र) की स्वीकृति पर विचारार्थ प्रस्तुत।

टीप : विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 117 नग सी.सी.टी.वी. कैमरा 2018 में लगाया गया था। वर्तमान में 26 नग सी.सी.टी.वी. कैमरा चालू हालत में है तथा 91 नग सी.सी.टी.वी. कैमरा खराब है। 91 नग सी.सी.टी.वी. कैमरा में अलग-अलग प्रकार के सामग्री लगाकर मरम्मत कार्य कराया जाना है जिस पर रु. 8,53,916=00 (रुपए आठ लाख तिरपन हजार नौ सौ सोलह मात्र) व्यय होगा।

मरम्मत कार्य पूर्ण होने के पश्चात 117 नग सी.सी.टी.वी. कैमरा का वार्षिक रख-रखाव (AMC) कराया जाना है, जिस पर प्रति कैमरा रु. 1,416=00 (रुपए एक हजार चार सौ सोलह मात्र) जीएसटी सहित व्यय होगा तथा 117 नग सी.सी.टी.वी. कैमरा का वार्षिक रख-रखाव (AMC) पर प्रतिवर्ष रु. 1,65,672=00 (रुपए एक लाख पैंसठ हजार छः सौ बहत्तर मात्र) व्यय होगा।

अतः सी.सी.टी.वी. कैमरा मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु राशि रु. 10,19,588=00 (रुपए दस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ अठ्यासी मात्र) की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

#### यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. (1) हाई मास्ट एल.ई.डी. लाईट मेसर्स डी.एल. झा को देयक रु. रु. 10,83,128.00 (रुपए दस लाख तिरासी हजार एक सौ अठाईस मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति विचारार्थ प्रस्तुत।  
(2) हाई मास्ट एल.ई.डी. लाईट लगाने बजट पुनर्नियोजन कर रु. 43,32,512/- (रुपए तिरालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ खुली निविदा आमंत्रण करने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

टीप: (1) भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 विषय क्र.-11 में विश्वविद्यालय के प्रसारित खुली निविदा क्रमांक 390/UE/दिनांक 30.11.2021 के अनुक्रम में निविदाकार में डी.एम. झा, रायपुर की न्यूनतम निविदा दर @2.50% Above, PWD SOR 01-06-2020 को मान्य करने अनुशंसा का अनुमोदन माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.08.2022 विषय क्र.-25 में Engineering Unit बजट मद 5(a) Construction work, Electrification में प्रावधान राशि रु. 40 लाख अंतर्गत 01 नग हाई मास्ट एल.ई.डी. लाईट लगाने राशि रु. 10,83,128/- (रुपए दस लाख तिरासी हजार एक सौ अठाईस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति के परिपालन में विश्वविद्यालय के पं. रविशंकर शुक्ल मूर्ति चौक में हाई मास्ट एल.ई.डी. लाईट लगाया गया है, तथा अनुबंधित फर्म को दिनांक 30.12.2022 को देयक क्रमांक 2984-2986 द्वारा राशि रु. 10,83,128.00 (रुपए दस लाख तिरासी हजार एक सौ अठाईस मात्र) का भुगतान किया गया है, कृपया कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

(2) विश्वविद्यालय परिसर के 04 अन्य चौराहों में हाई मास्ट एल.ई.डी. लाईट Engineering Unit बजट मद वर्ष 2022-23 (5) Non-Recurring Expenditure 5(ii)a Electrification & Water Supply & Campus Development में विश्वविद्यालय बजट मद Engineering Unit (17) WBM Road (New) में प्रावधानित राशि रु. 100 लाख में से रु. 50 लाख की बजट पुनर्नियोजन स्वीकृत करते हुए, अनुमानित व्यय राशि रु. 43,32,512/- (रुपए तिरालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा खुली निविदा आमंत्रण किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों की वार्षिक रखरखाव हेतु कार्यपरिषद् से पूर्व स्वीकृत राशि रु. 35,59,548/- (रुपए पैंतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अड़तालीस मात्र) में से 50% शेष राशि रु. 17,79,744/- (सत्रह लाख उन्यासी हजार सात सौ चौवालीस मात्र) सहायक संचालक, उद्यान, रायपुर को भुगतान की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

टीप : (1) कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, रायपुर के प्राप्त प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय परिसर के 11 विकसित उद्यानों को वर्ष 2022-23 में रखरखाव करने कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 में राशि रु. 35,59,548/- (रुपए पैंतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अड़तालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर 50% अग्रिम राशि रु. 17,79,744/- मात्र भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई थी।

- (2) स्वीकृत राशि में से शेष 50% रु. 17,79,744/- (सत्रह लाख, उन्यासी हजार, सात सौ चौवालिस मात्र) मात्र बजट वर्ष 2022-23 के मद B-Engg.unit 2 (Garden maint) में प्रावधानित राशि रु. 70 लाख में से भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. विश्वविद्यालय की सड़कों के किनारे पेवर ब्लॉक लगाने बजट सत्र 2022-23 की 3(b) M&R To Roads की शेष राशि रु. 30 लाख के अंतर्गत व्यय किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: (1) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2019 पूरक सूची क्रमांक-12 में Engineering Unit Renovation of Building fund से उक्त कार्य के लिए राशि रु. 36,81,207/- (छत्तीस लाख इक्यासी हजार दो सौ सात) मात्र व्यय करने अनुमोदन प्रदान किया गया था।

- (2) निविदा सूचना क्रमांक 304/यांत्रिकी दिनांक 14.09.2021 के अनुक्रम में न्यूनतम निविदा दर @23.51% एस.ओ.आर. से कम को स्वीकृत कर मे. शारदा कंस्ट्रक्संस खरसीया, रायगढ़ से राशि रु. 28,14,881/- का कार्य अनुबंध दिनांक 24.06.2022 को किया गया था।

- (3) अनुबंधित फर्म से प्राप्त पत्र दिनांक 17.10.2022 एवं 30.10.2022 में बाजार मूल्य वृद्धि बताते हुए कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किया गया है, इसलिए उनके द्वारा जमा अमानत राशि रु. 100,000/- को राजसात करने अनुशंसा कर द्वितीय न्यूनतम निविदा दर @22.13% एस.ओ.आर. से कम फर्म मे. संस्कृति इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर से कार्य हेतु सहमति पत्र प्राप्त हुआ है। न्यूनतम दर पर अनुबंध राशि से रु. 51,534/- अतिरिक्त व्यय राजसात किए गए अमानत राशि से समायोजित होगा।

- (4) द्वितीय क्रम के निविदाकार से राशि रु. 28,66,395/- (अठाइस लाख, छैसठ हजार, तीन सौ पंचानबे) मात्र का कार्य अनुबंध Engineering Unit के सत्र 2022-23 के बजट मद 3(b) M&R To Roads में प्रावधानित राशि रु. 80 लाख में से शेष राशि रु. 30 लाख अंतर्गत व्यय प्रस्तावित है।

13. रुसा परियोजना अंतर्गत प्रेक्षागृह के रिनोवेशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रदत्त राशि रु. 50 लाख के उपयोग सड़क डामरीकरण के लिए किए जाने के संबंध में विचार करना।

- टीप: (1) प्रेक्षागृह के रिनोवेशन कार्य हेतु "रुसा परियोजना" अंतर्गत राशि रु. 71.98 लाख अनुदान विश्वविद्यालय को विमुक्त होने प्रक्रियाधीन है।
- (2) दिनांक 22.11.2022 को विश्वविद्यालय परिसर में लोक निर्माण विभाग द्वारा संपादित कार्यों की समीक्षा बैठक माननीय कुलपति कक्ष में आमंत्रित किया गया था। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रेक्षागृह के प्रस्तावित रिनोवेशन कार्यों का निविदा आमंत्रण करने पूर्व में लोक निर्माण विभाग को सड़क डामरीकरण हेतु भुगतान किए गए राशि रु. 50 लाख की तात्कालिक उपयोग करने सहमति प्रदान करने अनुरोध किया गया था।
- (3) विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 83/यांत्रिकी, दिनांक 23.11.2022 द्वारा उपरोक्त आशय की सहमति लोक निर्माण विभाग को प्रदान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों की वर्ष 2022-23 में रख-रखाव हेतु प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना

- टीप: (1) सहायक संचालक उद्यान, रायपुर के प्राप्त प्रस्ताव पत्र क्रमांक/उद्यान/लेखा/22-23 265 दिनांक 10.08.2022 में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से रेल्वे रिजर्वेशन काउंटर, कला भवन के सामने, भू-गर्भशास्त्र विभाग भवन के सामने विकसित उद्यानों को वर्ष 2022-23 में रख-रखाव करने प्राप्त प्राक्कलन का अनुमोदन कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 38/यांत्रिकी/2022 दिनांक 16.11.2022 द्वारा राशि रु. 14,35,813/- (रुपए चौदह लाख पैंतीस हजार आठ सौ तेरह मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कृपया माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
- (2) विगत 04 महिनों सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 में अपरिहार्य कारणों से उद्यानिकी विभाग द्वारा मजदूर नियोजित नहीं किया गया। अतः अनुपातिक राशि रु. 6,36,480/- की कटौती कर शेष राशि रु. 7,99,333/- (रुपए सात लाख नियांनबे हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) Engg.unit 2 के Garden maint. हेतु स्वीकृत बजट मद से भुगतान करने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

15. विश्वविद्यालय परिसर के भवनों की बाह्य पोताई हेतु बजट वर्ष 2022-23 में राशि रु. 29.00 लाख (Central Modular Kitchen से Campus Beautification Head में) पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में विचार करना

- टीप: (1) निविदा सूचना क्र0 304/यांत्रिकी दिनांक 14.09.2021 की प्रतिस्पर्धा द्वारा @41.11% (इकतालिस दसमलव एक-एक प्रतिशत) लोक निर्माण विभाग के प्रचलित एस.ओ.आर. से कम न्यूनतम निविदा दर पर मे/संस्कृति इन्फ्रास्ट्रक्चर, रायपुर से विश्वविद्यालय के 12 भवनों की बाह्य पोताई हेतु राशि रु. 42,18,425/- (रु. बयालीस लाख अठारह हजार चार सौ पच्चीस) का कार्य अनुबंध दिनांक 21.03.2022 को किया गया है।
- (2) पूर्ण किए गए कार्यों की वास्तविक माप के अनुरूप फर्म को प्रथम चल देयक राशि रु. 18,08,340/- (रु. अठारह लाख, आठ हजार, तीन सौ चालीस) का भुगतान दिनांक 18.10.2022 को व्हाउचर क्र. 2260-2261 द्वारा किया गया था। जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 विषय क्र.-09 में प्रदान की गई है।



- (3) 12 भवनों में सम्मिलित ग्रंथागार भवन में अत्यधिक मरम्मत की आवश्यकता होने के कारण उसके स्थान पर फार्मसी भवन की बाह्य पोताई तथा प्रेक्षागृह भवन की बाह्य पोताई अनुमानित व्यय राशि रु. 4,86,031/- (रु. चार लाख छियासी हजार इक्कीस) का अतिरिक्त पूरक कार्य अनुबंधित फर्म से कराया जाना प्रस्तावित है।
- (4) विश्वविद्यालय के बजट वर्ष 2022-23 के Engg-Unit मद क्र. (10) Campus Beautification में प्रावधानित राशि रु. 30.00 लाख (रु. तीस लाख) में मात्र रु. 10.00 लाख (रु. दस लाख) शेष है, अतः अनुबंधित कार्य की पूर्णता हेतु Engg-Unit के बजट मद क्र. B/14-Central Modular Kitchen में प्रावधान राशि रु. 200.00 लाख को बजट मद क्र.(10) Campus Beautification में रु. 29.00 लाख पुनर्नियोजन की स्वीकृति तथा पूरक कार्य की कार्यपूर्णता समयावधि दिनांक 18 मार्च 2023 तक वृद्धि करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
16. विश्वविद्यालय परिसर की सड़कों के डामरीकरण हेतु बजट पुनर्नियोजन राशि रु. 60.00 लाख बजट मद Central Modular Kitchen से M&R To Road मद में करने पर विचार करना
- टीप:** (1) माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.03.2022 में प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-03 रायपुर द्वारा राशि रु. 50.00 लाख (रु. पचास लाख) व्यय पर मात्र मुख्य मार्ग का डामरीकरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के इंजीनियरिंग यूनिट के बजट मद 3(b) M&R To Roads में प्रावधानित राशि से रु. 50.00 लाख (रु. पचास लाख मात्र) व्यय में संपादित किया गया है।
- (2) विश्वविद्यालय परिसर के कार्यालयीन, आवासीय भवनों के आंतरिक मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने से सुधार कार्य अत्यंत आवश्यकता अनुसार शेष डामरीकरण हेतु अनुमानित व्यय प्राक्कलन राशि रु. 50.00 लाख (रु. पचास लाख मात्र) प्रस्तुत है। Engineering Unit के बजट मद क्र.-14 Central Modular Kitchen में प्रावधानित राशि रु. 200.00 लाख के बजट मद को 3(b) M&R To Roads में राशि रु. 60.00 लाख (रु.साठ लाख मात्र) की बजट पुनर्नियोजन की स्वीकृति प्रदान कर अनुमानित प्राक्कलन अंतर्गत भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदा आमंत्रण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

### सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. पी-एच.डी./एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदाय किए जाने के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. 542/92/आउशि/वि.वि.अनु./2022, दिनांक 19.10.2022 के अनुक्रम में मूलभूत नियम 27 के अनुसार स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक उपाधियों (पी-एच.डी., डी.एस.सी. डी.लिट्.) अर्जित करने पर शासकीय सेवकों को दो अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने के प्रकरण पर विचारार्थ प्रस्तुत।

**टीप:** विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है, उन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें वेतनमान) के नियम/निर्देशों में अग्रिम वेतनवृद्धियों के संबंध में उल्लेख न होने के कारण इसका लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्र. 3320/सा.प्रशा./2022 दिनांक 06.09.2022 के द्वारा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से मार्गदर्शन माँगा गया था।

उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर ने अपने पत्र क्र. 542/92/आउशि/वि.वि.अनु./2022, दिनांक 19.10.2022 के द्वारा मूलभूत नियम 27 के अनुसार स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक उपाधियों (पी-एच.डी., डी.एस.

सी., डी.लिट.) अर्जित करने पर शासकीय सेवकों को दो अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने का उल्लेख किया है।

अतः मूलभूत नियम 27 में दिए गए प्रावधानानुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को विश्वविद्यालय स्तर से पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को उन्हें प्राप्त उपाधि तिथि से दो अग्रिम वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

18. डॉ. शैलेंद्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान को Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Pharmaceuticals, Shastri Bhawwan, New Delhi के आदेश क्रमांक F.No. 56013/03/2020-NIPER Dated: 16 December, 2022 के द्वारा डॉ. शैलेंद्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को Director, national Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER), Ahmedabad के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप उनके आवेदन दिनांक 26.12.2022 के अनुक्रम में दिनांक 11.01.2023 से प्रोफेसर के पद पर 05 वर्ष की धारणाधिकार स्वीकृत करने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

टीप: डॉ. शैलेंद्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.12.2022 में उन्होंने Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Pharmaceuticals, Shastri Bhawwan, New Delhi के आदेश क्रमांक F.No. 56013/03/2020-NIPER Dated: 16 December, 2022 के द्वारा डॉ. शैलेंद्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को Director, national Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER), Ahmedabad के पद पर पदभार ग्रहण तिथि से 05 वर्ष उनकी उम्र 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किए जाने की जानकारी देते हुए Director, National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER), Ahmedabad के पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 11.01.2023 से प्रोफेसर पद से भारमुक्त करने तथा 05 वर्षों के लिए धारणाधिकार स्वीकृति की माँग की गई है।

धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम 31, भाग-2 की कंडिका 11 का उद्धरण निम्नानुसार है :-

"On confirmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on that post. A University employee holding a permanent post substantively. If appointed substantively to another post. acquires a lien on the second post and ceases to hold any lien on the first one"

अतः उक्त प्रावधानानुसार डॉ. शैलेंद्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान को Director, National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER), Ahmedabad के पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु तिथि 11.01.2023 से प्रोफेसर, फार्मसी के पद पर 05 वर्ष की धारणाधिकार स्वीकृत कर कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

19. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2015 के द्वारा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं समकक्षीय पदों के लिए पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान के अनुरूप Ordinance No. 58 (Revised) "Scale of pay for Teachers of the University" में संशोधन करने के संबंध में विचार करना।

टीप: छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2015 के द्वारा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं समकक्षीय पदों के लिए पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान लागू किया गया।

उक्त राज्य शासन आदेशानुसार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2018 के विषय क्रमांक 03 में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3859/स्था./सा.प्रशा./2018 दिनांक 30.10.2018 के द्वारा इस विश्वविद्यालय में कार्यरत कुलपति, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल एवं संचालक, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा को को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया।

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 50 के अनुसार –

"The payment of the salaries to the teachers of the University paid by the University shall be in accordance with scales fixed by the Executive Council by Ordinance with the prior approval of the State Government."

तदनुसार Ordinance No. 58 (Revised) "Scale of pay for Teachers of the University" में संशोधन करने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

20. श्री सुरेश यादव, फोटोग्राफर (संविदा) को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 703/223/आउशि/ 2021 के परिपालन में दिनांक 26.02.2021 से एक वर्ष के लिए पुनःश्च छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 9-3/2022/38-2, दिनांक 26.04.2022 में प्राप्त अनुमति अनुसार पेंशन माइनस वेतन आधार पर दिनांक 27.02.2023 से 26.02.2024 तक एक वर्ष हेतु पुनः संविदा अवधि में वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: श्री सुरेश कुमार यादव (संविदा) फोटोग्राफर से प्राप्त आवेदन दिनांक 02.01.2023 के द्वारा संविदा नियुक्ति की अवधि दिनांक 26.02.2023 को समाप्त होने के उपरांत पुनः एक वर्ष के लिए संविदा अवधि में वृद्धि हेतु निवेदन किया है।

उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 703/223/आउशि/ 2021 के परिपालन में दिनांक 26.02.2021 से एक वर्ष के लिए पुनःश्च छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 9-3/2022/38-2, दिनांक 26.04.2022 में प्राप्त अनुमति अनुसार दिनांक 27.02.2022 से अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा फोटोग्राफर के पद पर (पेंशन माइनस वेतन) नियुक्ति प्रदान की गई थी।

उपरोक्तानुसार इनकी संविदा अवधि दिनांक 26.02.2023 को समाप्त हो रही है। अतः श्री सुरेश यादव, फोटोग्राफर (संविदा) को पेंशन माइनस वेतन आधार पर दिनांक 27.02.2023 से 26.02.2024 तक एक वर्ष हेतु पुनः संविदा अवधि में वृद्धि किए जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

21. 06 विदेशी ई-शोध पत्रिकाओं के क्रय किए जाने अनुमानित व्यय रु. 9,73,418=76 (नौ लाख तिरहत्तर हजार चार सौ अठ्ठारह रुपए छिहत्तर पैसे मात्र) (परिवर्तनीय) विभागीय एवं केंद्रीय क्रय समिति के अनुशंसा के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

- टीप: 1. वर्ष 2022 के लिए 18 Print/Online/Print-cum-Online विदेशी शोध-पत्रिकाओं के क्रयार्थ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निविदा आमंत्रित किया गया।
2. दिनांक 28.06.2022 को जारी प्रथम निविदा में केवल 2 फर्म ने भाग लिया अतः अपर्याप्त संख्या के कारण निविदा निरस्त किया गया।
3. दिनांक 24.08.2022 को पुनः आमंत्रित निविदा में 4 फर्मा ने निविदा प्रस्तुत किया एवं 2 फर्म अर्ह पाए गए।
4. निविदा पत्रों के अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत निम्नलिखित फर्मों से विभिन्न दर पर प्राप्त न्यूनतम छूट के आधार पर 06 ई-शोध पत्रिकाएँ क्रय करने की अनुशंसा विभागीय क्रय समिति एवं केंद्रीय क्रय समिति ने की।

क्र.	फर्म	ई-शोध पत्रिकाओं की संख्या	भुगतान किए जाने वाली राशि
1	Total Library Solutions, (1) Pvt. Ltd., New Delhi	03	323836.5
2	Infokart India Pvt. Ltd., New Delhi	03	649582.26
	कुल	06	973418.76

5. 06 ई-शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ राशि रु. 973418.76 का व्यय अनुमानित है। देयक तिथि में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण अंतिम भुगतान राशि परिवर्तनीय है।
6. भुगतान निम्नांकित मद से किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	मद	प्राप्त राशि	भुगतान किए जाने वाली राशि
1	वि.वि. बजट वर्ष 2022-23 ग्रंथागार/पुस्तक पत्रिका मद	35.00 लाख	973418.76
	कुल	06	973418.76

अतएव 06 ई-शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ विभागीय क्रय समिति एवं केंद्रीय क्रय समिति के अनुशंसा का अनुमोदन तथा उपरोक्त तालिकानुसार 06 शोध-पत्रिकाओं के क्रयार्थ चंदा भेजे जाने हेतु भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

गणित अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि में से विभागीय अधिकारी द्वारा रु. 1000/- (रुपए एक हजार मात्र) तक खर्च करने के स्थान पर रु. 2000/- (रुपए दो हजार मात्र) तक खर्च करने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय कायपरिषद् की बैठक दिनांक 21.08.2007 में "समस्त अध्ययन शालाओं के लिए स्वीकृत इम्प्रेस्ट की राशि में से विभागध्यक्षों को रु. 1000/- तक खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त प्रावधान विश्वविद्यालय विनियम के अंतर्गत किया जाने निर्णय लिया गया था।" उक्त निर्णय के परिपालन में पत्र क्रमांक 6694/वित्त/इम्प्रेस्ट/2007, दिनांक 03.09.2007 के द्वारा समस्त अध्ययनशाला में सूचना प्रसारित की गई। गणित अध्ययनशाला के विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि में से रु. 1000/- तक खर्च करने के स्थान पर रु. 2000/- तक खर्च करने की स्वीकृति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**फार्मसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :-**

23. फार्मसी संस्थान में 07 मॉड्यूलर लैब निर्माण हेतु संस्थान के बजट मद 2022-23 मद संख्या 5 फर्नीचर एवं फिक्चर में से अनुमानित राशि रु. 48.00 लाख (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

**टीप:** फार्मसी संस्थान में उन्नत स्तर के प्रयोग एवं शोध कार्य हेतु 07 मॉड्यूलर लैब का निर्माण किया जाना है। उक्त कार्य पर अनुमानित व्यय रु. 48.00 लाख (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) होने की संभावना है। उक्त लैब का निर्माण विश्वविद्यालय फार्मसी संस्थान के बजट 2022-23 मद संख्या 5 फर्नीचर एवं फिक्सर में राशि रु. 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) में से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य निविदा के माध्यम से किया जाना है। अतः उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि रु. 48.00 लाख (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**आई.क्यू.ए.सी. सेल से प्राप्त प्रस्ताव :-**

24. विश्वविद्यालय के NAAC के Fourth Cycle के आकलन और प्रत्यायन के संबंध में विचार करना।

**टीप:** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.08.2022 में लिए गए निर्णय "शासन द्वारा अनुमति प्राप्त पदों पर नियुक्ति एवं अपूर्ण अकादमिक एवं अधोसंरचना के कार्यों की पूर्णता तक प्रत्यायन प्रक्रिया को स्थगित करने हेतु सहमति प्रदान की गई।" विश्वविद्यालय के प्रत्यायन के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है -

Cycle of Accreditation : (नैक प्रत्यायन चक्र)	4 <sup>th</sup> cycle
Date of submission of IIQA : (IIQA जमा करने की तिथि)	15 <sup>th</sup> December 2021
Date of Acceptance of IIQA : (IIQA स्वीकृति की तिथि)	15 <sup>th</sup> February 2022
Date of submission Self Study Report (SSR): (SSR जमा करने की तिथि)	30 <sup>th</sup> March 2022
Date of Commencement of Data Verification & Validation (DVV): (DVV नैक द्वारा जारी करने की तिथि)	5 <sup>th</sup> April 2022
Date of Completion of Data Verification & Validation (DVV): (DVV समाप्त होने की तिथि)	2 <sup>nd</sup> May 2022
Date of Pre-qualification for NAAC Peer Team Visit: (SSR स्वीकृति की तिथि)	21 <sup>st</sup> July 2022

दिनांक 21 जुलाई 2022 को SSR की स्वीकृति के तहत प्रत्यायन की प्रक्रिया हेतु द्वितीय किश्त एवं लॉजिस्टिक फीस कुल राशि 767000.00 (रुपए सात लाख सड़सठ हजार मात्र) ऑनलाईन पोर्टल पर नैक में जमा करने की आवश्यकता होगी। राशि का विवरण निम्नानुसार है -

Assessment and Accreditation Fees (balance 50% of total fees)	Rs. 1,50,000/- + GST 18%	Rs. 1,77,000/-
Logistic Fees	Rs. 1,50,000/- + GST 18%	Rs. 5,90,000/-
	Total	Rs. 7,67,000/-

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-**

25. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन पर विचार करना।

**टीप:** विभिन्न संकाय में पी-एच.डी. हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.10.2022 से 03.01.2023 (अधिसूचना क्रमांक 3677 से 3720 तक) की जानकारी निम्नानुसार है :-

कला संकाय	-	हिंदी-04, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान-02, अंग्रेजी-05
सामाजिक विज्ञान संकाय	-	समाजशास्त्र-03, इतिहास-04, राजनीति विज्ञान-03, अर्थशास्त्र-05, मनोविज्ञान-01, प्रा.भा. इतिहास-01,
वाणिज्य संकाय	-	वाणिज्य-03
गृह विज्ञान संकाय	-	गृह विज्ञान-03

शारीरिक शिक्षा संकाय	- शारीरिक शिक्षा-01
विज्ञान संकाय	- गणित-01, भौतिक-01, रसायन शास्त्र-05, भूगोल-02,
जीव विज्ञान संकाय	- वनस्पति शास्त्र-01
टेक्नालॉजी संकाय	- फार्मसी-01

इस प्रकार कुल 43 शोधार्थियों को पी-एच.डी. उपाधि हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है। शोधार्थियों की सूची माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

26. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

Srpati  
21/1/23  
कुलसचिव



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 934/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023

रायपुर, दिनांक 05/01/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 04.01.2023 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	-	सदस्य
3. डॉ. व्यास दुबे	-	सदस्य
4. डॉ. एस.के. प्रसाद	-	सदस्य
5. डॉ. मधुलिका अग्रवाल	-	सदस्य
6. डॉ. सौम्या नैय्यर	-	सदस्य
7. डॉ. राजीव चौधरी	-	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अभया आर. जोगलेकर	-	सदस्य
9. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
10. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
11. डॉ. संजय कुमार	-	सदस्य
12. डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, कुलसचिव (प्रभारी)	-	सचिव

## कार्यवृत्त

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 10.11.2022 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर सरायपाली, जिला-महासमुंद	PGDCA	70 (50+20) सीट वृद्धि	2022-23
		B.Sc. Bio Group	85 (60+25) सीट वृद्धि	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। इंडोमेंट फंड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(ii)	आदर्श महाविद्यालय, दतारंगा, जिला-रायपुर	PGDCA-	60 (40+20) सीट वृद्धि	2022-23
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। इंडोमेंट फंड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(iii)	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, जिला-रायपुर	M.Sc.-III & IV Sem. Physics	15	2022-23
		M.Sc.-III & IV Sem. Botany	15	
		M.Com.-III & IV Sem.	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(iv)	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	B.A.-II- Geography	25	2019-20
		B.A.-II-Dance	60	
		B.A.-II-Maths	60	
		B.A.-III- Geography	25	2020-21
		B.A.-III-Dance	60	
		B.A.-III-Maths	60	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
(v)	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा-नवापारा, जिला-रायपुर	B.A.-III- Psychology	40	2022-23
		B.A.-III- Home Science	60	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
vi	शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव, जिला-रायपुर	B.Sc.-III FC, Chemistry, Physics, Maths	40	2022-23
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
vii	शासकीय वीर सुरेंद्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद	B.Sc.-III year Boitechnology	40	2022-23
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
viii	दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर	B.B.A.-III	40	2022-23
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। इंडोमेंट फंड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए।				



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
ix	शांतिनिकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाठा, रायपुर	B.Sc. -III- Zoology		2018-19
		M.Sc. (Computer Science, Information Technology (I.T.) & Microbiology		
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। इंडोमेंट फंड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए।				

### स्थायी संबद्धता

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय
i	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कालोनी, रायपुर	बी.काम. (सभी अनिवार्य विषय एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन)
		बी.बी.ए.
		बी.सी.ए.
		बी.एस-सी. (कंप्यूटर एप्लीकेशन)
		पी.जी.डी.सी.ए.
		एम.कॉम.
		डी.बी.एम.
	बी.वॉक.	
निर्णय: स्थायी संबद्धता मान्य नहीं किए जाने की अनुशंसा की गई।		

04. शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के आवेदन पत्र क्रमांक 737/स्था./2022 मोपका, दिनांक 17.11.2022 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 17-14/2022/38-1, नवा रायपुर, दिनांक 14.11.2022 के परिपालन में महाविद्यालय का नाम निम्नानुसार संशोधन किए जाने की अनुशंसा की गई :-

पूर्व संचालित नाम	परिवर्तित नाम
शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

05. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर में सत्र 2022-23 से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु तथा उनमें कौशल अभिवृत्ति के साथ रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 08 मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम (Value Aided Course) प्रारंभ किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक 21.11.2022 के प्रतिवेदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय :शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर में सत्र 2022-23 से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु तथा उनमें कौशल अभिवृत्ति के साथ रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 08 मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम (Value Aided Course) प्रारंभ किए जाने हेतु गठित समिति के अभिमत की निम्नानुसार अनुशंसा की गई -

“शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तावित आठ वेल्यू एडेड कोर्स कौशल अभिवृत्ति प्रकार के हैं तथा 30-40 घंटे की अवधि के कोर्स हैं जो कि सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा/ डिग्री के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः विश्वविद्यालय स्तर पर इनके अनुमोदन पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।”

06. शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव, जिला-रायपुर में बी.ए., बी.काम., बी.एस-सी. बायोटेक एवं बैचलर ऑफ आर्ट्स में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव, जिला-रायपुर में संचालित पाठ्यक्रम बी.ए., बी.काम., बी.एस-सी. बायोटेक में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-56/2022/38-1 नवा रायपुर, दिनांक सितंबर 2022 को सीट वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रथम वर्ष के सीट वृद्धि हेतु छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-69/2022/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26 सितंबर 2022 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार अनुशंसा की गई:-

क्र.	कक्षा का नाम	पूर्व सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष	90	50	140
2.	बी.काम. प्रथम वर्ष	90	40	130
3.	बी.एस-सी. प्रथम वर्ष बायोटेक	90	40	130
4.	बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रथम वर्ष	140	60	200

07. स्व. रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर में बी.ए. प्रथम वर्ष में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्व. रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर में संचालित पाठ्यक्रम बी.ए. प्रथम वर्ष में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-56/2022/38-1 नवा रायपुर, दिनांक 08.09.2022 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश के परिपालन में निम्नानुसार अनुशंसा की गई:-

क्र.	कक्षा का नाम	पूर्व सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष	90	30	120

08. महर्षि वेद व्यास शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भखारा, जिला-धमतरी में पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए., एम.एस-सी. प्राणीशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: महर्षि वेद व्यास शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भखारा, जिला-धमतरी में संचालित पाठ्यक्रम पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए., एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. 160/27/आउशि/योजना/2022-23 अटल नगर, दिनांक 08.09.2022 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश के परिपालन में निम्नानुसार अनुशंसा की गई :-

क्र.	कक्षा/विषय का नाम	संचालन का प्रकार	पूर्व सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या	सत्र
1.	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय मद	45	25	70	2022-23
2.	डी.सी.ए.	स्ववित्तीय मद	45	25	70	
3.	एम.एस-सी. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर-प्राणीशास्त्र	शासन से	25	5	30	
4.	एम.एस-सी. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर-वनस्पति शास्त्र	शासन से	25	5	30	

09. सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर में बी.एस-सी. बायो समूह में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर में संचालित पाठ्यक्रम बी.एस-सी. बायो समूह के लिए छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-56/2022/38-1 नवा रायपुर, दिनांक 26.08.2022 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश के परिपालन में निम्नानुसार अनुशंसा की गई :-

क्र.	कक्षा का नाम	पूर्व सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	बी.एस-सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30	20	50

10. B.P.E. (Yearly) पाठ्यक्रम की उपाधि प्रोफार्मा तैयार किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :अनुशंसा की गई।

11. अलशम्स इंफोटेक महाविद्यालय, नगरी (सिहावा) जिला-धमतरी को सत्र 2019-20 से 2022-23 तक कुल 4 वर्षों का वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :अनुशंसा की गई।

12. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2022-23 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. स्व. दौलतराम शर्मा स्नातकोत्तर महा. कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
2	शास. सुखराम नागे महा. सिहावा (नगरी), जिला-धमतरी
3	शास. वीर सुरेंद्र साय महावि. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद
4	गोविंद सारंग विधि महा. भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
5	संत गुरु घासीदास शास. स्नातकोत्तर महा. कुरुद, जिला-धमतरी
6	शास. नवीन महाविद्यालय, सोनाखान, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23)

क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	बी.आई.टी. कॉलेज ऑफ कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट एंड आर्ट्स, अभनपुर रोड, केंद्री, रायपुर
2	कॉम्पटेक महाविद्यालय, सोरिद नगर, धमतरी, जिला-धमतरी
3	कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, चंद्रखुरी फार्म, रायपुर

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

## पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में शोध-छात्र/छात्राओं द्वारा अतिथि व्याख्याता के रूप में दिए गए व्याख्यान के विरुद्ध निर्धारित (विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि व्याख्याताओं हेतु) मानदेय भुगतान के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 13.12.2022 के अभिमत पर विचार करना।
- निर्णय :शोध-छात्रों से अतिथि-शिक्षक (अंशकालीन शिक्षक) कार्य लेने तथा मानदेय भुगतान के संबंध में समिति के अभिमत की निम्नानुसार अनुशंसा की गई –
- (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोधवृत्ति प्राप्त शोध छात्रों से अध्यापन कराए जाने के निर्देश है। अतः शोध छात्रों से शोध कार्य के दौरान अध्यापन कराया जा सकता है।
  - (2) शोध छात्र से अतिथि-शिक्षक (अंशकालीन शिक्षक) का कार्य कराया जा सकता है तथा नियमानुसार मानदेय भुगतान किया जाना चाहिए, बशर्ते उन्हें किसी अन्य स्रोत से शोधवृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो।
  - (3) अतिथि-शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रावीण्यता में होने पर ही शोध-छात्र को अतिथि-शिक्षक नियुक्त किया जाए।
  - (4) कोर्स-वर्क की अवधि में शोध-छात्र को अतिथि-शिक्षक नियुक्त नहीं किया जाए।
  - (5) अतिथि-शिक्षक की नियुक्ति प्रस्ताव में शोध-छात्र हो की स्थिति में स्पष्टतः शोध-छात्र उल्लेख कर प्रकरण में सक्षम स्वीकृति प्राप्त किया जाए।
02. भारत का राजपत्र क्र. D.L.-33004/99 Part-III-Section-4, No. 287, दिनांक 31 जुलाई, 2018 में यू.जी.सी. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 जुलाई, 2018 – उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन, विनियम-2018 को अंगीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय :अंगीकृत करने की अनुशंसा की गई।
03. भारत का राजपत्र क्र. CG-DL-E-07112022-240086 Part-III-Section-4, No. 544, दिनांक 7 नवंबर, 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया विनियम 2022 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-45 में संशोधन किए जाने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय :सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-45 में आवश्यक संशोधन संकायाध्यक्षों की समिति के द्वारा कराने के पश्चात् विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई।
04. शोध निदेशक मान्यता के संबंध में स्पष्टीकरण पर विचार करना।
- निर्णय :विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-45 की कंडिका-9 के अंतर्गत शोध निदेशक के मान्यता के संबंध में निर्धारित मापदंड के संबंध में परीक्षण कराए जाने हेतु निम्नानुसार संकायाध्यक्षों की समिति का गठन किए जाने की अनुशंसा की गई –
- (1) डॉ. व्यास दुबे, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
  - (2) डॉ. शैल शर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय
  - (3) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
05. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2022 में पारित, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमोदित नवीन अध्यादेश क्रमांक-197 की कंडिका 5(5.1)(iii) "Actual credits in each semester may vary as per Appendix-I. The detailed structure of UGCF courses with credit shall be notified by the Univeristy through the Regulation from time to time." के अनुक्रम में तैयार नवीन विनियम के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय :नवीन विनियम क्रमांक-201 (The regulation specifies the structure of UGCF courses, credit point and other miscellaneous provisions under the Ordinance 197) की अनुशंसा की गई।

06. सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला- रायपुर में बी.एस-सी. गणित एवं विज्ञान समूह में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा जिला- रायपुर (छ.ग.) में संचालित पाठ्यक्रम बी.एस-सी. गणित एवं विज्ञान समूह में आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 129/14/आउशि/योजना/2021-22, दिनांक 20.09.2021 के द्वारा सत्र 2021-22 से सीट वृद्धि आदेश के परिपालन में निम्नानुसार अनुशंसा की गई :-

क्र.	कक्षा का नाम	पूर्व सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	बी.एस-सी. (गणित समूह) प्रथम वर्ष	30	20	50
2.	बी.एस-सी. (विज्ञान समूह) प्रथम वर्ष	30	20	50

07. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2022-23 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास.के.एल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला- महासमुंद
2	शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.)
3	बाबू पंडरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी, जिला-धमतरी


निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।


### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. एन.सी.टी.ई. से विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा संस्थान में बी.एस-सी. बी.एड., बी.ए. बी.एड. एवं बी.कॉम. बी.एड. नवीन पाठ्यक्रम की मान्यता की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई एवं आगे की प्रक्रिया किए जाने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
प्रभारी कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 935 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 05/01/2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)

**Regulation No. 201**

(E.C. under ----- )

**The regulation specifies the structure of UGCF courses, credit point and other miscellaneous provisions under the Ordinance 197**

**The detailed structure of UGCF courses with credit**

Semester	Discipline Specific Core (DSC)	Discipline Specific Elective (DSE)†	Generic Elective (GE)‡	Ability Enhancement Course (AEC)§	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprenticeship / Project	Value addition Course (VAC)*	Total Credits
I	DSC A1-(6)		GE1-(6)	AEC 1-(2)			VAC 1-(2)	22
	DSC B1-(6)							
	DSC C1-(6)							
II	DSC A2-(6)		GE2-(6)	AEC 2-(2)			VAC 2-(2)	22
	DSC B2-(6)							
	DSC C2-(6)							
<b>Students exiting the programme after securing 44 credits will be awarded UG Certificate (in the Field of Multidisciplinary study) provided they secure additional 4 credits in work based vocational courses offered during summer term or internship / Apprenticeship.</b>								<b>44</b>
III	DSC A3-(6)		GE3-(6)	AEC 3-(2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/ Project/community outreach (2)			22
	DSC B3-(6)							
	DSC C3-(6)							
IV	DSC A4-(6)		GE4-(6)	AEC 4-(2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/ Project/community outreach (2)			22
	DSC B4-(6)							
	DSC C4-(6)							
<b>Students exiting the programme after securing 88 credits will be awarded UG Diploma (in the Field of Multidisciplinary study) provided they secure additional 4 credit in skill based vocational courses offered during first year or second year summer term.</b>								<b>88</b>
V		DSE A1-(6)	GE5-(6)	AEC-5 (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/ Project/community outreach (2)			22
		DSE B1-(6)						
		DSE C1-(6)						
VI		DSE A2-(6)	GE6-(6)	AEC-6 (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/ Project/community outreach (2)			22
		DSE B2-(6)						
		DSE C2-(6)						
<b>Students who want to undertake 3-year UG programme will be awarded UG Degree of (in the Field of Multidisciplinary study) upon securing 132 credits</b>								<b>132</b>
VII	DSC-(5)	Choose three DSE(3x5) courses (total=15)					Research Methodology (4)	24
VIII	DSC-(5)	Choose two DSE(2x5) courses (total=10)					Dissertation/ Research Project (9)	24
<b>students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) (Honours or Honours with Academic Project/Entrepreneurship ) after securing the requisite 136 credits on completion of Semester VIII</b>								<b>180</b>

† Choose from pool of courses from discipline

‡ Core course from other discipline, (One DSC/DSE may be replaced with GE)

§ **Ability Enhancement Courses (AEC):** Modern Indian Language (MIL) & English language focused on language and communication skills

\* **Value-Added Courses (VAC):** Understanding India / Environmental science(education)/ Digital and technological solutions/ Health & Wellness, Yoga education, sports, and fitness

विनिमय कं.

(विश्वविद्यालय विनिमय कं. 184 के अधीन)

नाम – यह विनिमय मानव संसाधन विकास केन्द्र कायिक निधि के नाम से जाना जावेगा।

क्षेत्र – इस विनिमय का प्रभाव क्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (UTD) होगा।

मद – इस कायिक निधि का एक बैंक खाता होगा जो मानव संसाधन विकास केन्द्र कायिक निधि खाता होगा।

उद्देश्य – 1. इस निधि का उपयोग विभाग के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता विकास हेतु, शोध परिचर्चा, सेमिनार एवं कांफ्रेंस के लिए किया जावेगा।

2. मानव संसाधन विकास केन्द्र कायिक निधि से प्रतिवर्ष प्राप्त ब्याज का 50 प्रतिशत ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जायेगा।

निधि – इस कायिक निधि में राशि की व्यवस्था निम्न रितियों से की जावेगी

01. दान से
02. प्रतिभागियों के पंजीयन राशि से
03. कंसलटेंसी शुल्क/प्रशिक्षण शुल्क से/केन्द्र के अतिथीगृह की आय से
04. अन्य उपायों से जैसा विभागीय कायिक निधि समिति निर्धारित करें।

समिति – मानव संसाधन विकास केन्द्र कायिक निधि समिति में निम्न सदस्य होंगे –

01. कुलपति
02. निदेशक
03. मानव संसाधन विकास केन्द्र के वरिष्ठ शिक्षक
04. कुलसिव
05. वित्त नियंत्रक

निधि का परिचालन – निधि बैंक खाते का परिचालन मानव संसाधन विकास केन्द्र के निदेशक के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु कुलपति का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

संशोधन एवं निरसन – इस निधि के विनिमय के प्रावधानों में परिवर्तन, संशोधन एवं निरसन का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।

**ORDINANCE No. 58**  
**(Revised)**

**SCALE OF PAY FOR TEACHERS OF THE UNIVERSITY**  
**(Effective from 01-01-2016)**

1. The revised scales of pay (UGC 7th Pay) for teachers in the Schools of Studies and University Teaching Departments as notified by the Chhattisgarh Government vide Higher Education Department memo No. F 2-1/18/38-1 dated 26th September, 2018 shall be as stated below:

- |      |                     |                    |
|------|---------------------|--------------------|
| i)   | Assistant Professor | Academic Level 10  |
| ii)  | Associate Professor | Academic Level 13A |
| iii) | Professor           | Academic Level 14  |

Provided that the salaries of the following categories of teachers shall be fixed in accordance with the rules/directives of the Government concerned, viz.:

- (i) Government servants on deputation to the University and
- (ii) Superannuated Government servants re-employed by the University after their superannuation.

Provided further that:

- (i) Teachers who do not opt for the existing scale or revised scales of pay as given above within the date prescribed by the Executive Council shall be deemed to have opted for the revised scale of pay as given above.
- (ii) Teachers who opt for the existing scale of pay shall continue to draw salary in the existing scale.

2. The above pay scales shall be applicable retrospectively with effect from 1st January, 2016.
3. Other conditions as laid down by the Government of Chhattisgarh Higher Education Department, Raipur for introduction of these pay scales vide letter No. No. F 2-1/18/38-1 dated 26th September, 2018 shall also be applicable.



कला संकाय

हिन्दी

- 1. श्रीमती अपर्णा सिंह
- 2. श्रीमती मीनाक्षी राय
- 3. श्रीमती जनेश्वरी सिन्हा
- 4. चंद्रेश

अंग्रेजी

- 1. कु. सीमा पंजवानी
- 2. अरिन्दम पात्रा
- 3. सुरेश बेरा
- 4. अमल बाबू
- 5. आशीष श्रीवास्तव

ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान

- 1. श्रीमती अदिति जोशी
- 2. विनोद कुमार अहिरवार

सामाजिक विज्ञान संकाय

अर्थशास्त्र

- 1. भागवत प्रसाद साहू
- 2. रूपेश कुमार नाग
- 3. पंकज कुमार तिवारी
- 4. कु. तृप्ति वर्मा
- 5. कु. प्रभा यादव

प्रा.भा. इतिहास

- 1. कु. शबीना बेगम

समाजशास्त्र

- 1. दूजराम टंडन
- 2. श्वेता जैन
- 3. सैय्यद परवेज

राजनीति विज्ञान

- 1. श्रीमती श्वेता मोरे
- 2. खेमराज चंद्राकर
- 3. पूर्णिमा भट्टाचार्य

इतिहास

- 1. पुरोहित कुमार सोरी
- 2. श्रीमती सुप्रिया आशीष अग्रवाल
- 3. कमलेश कुमार पटेल
- 4. रणजीत कुमार

मनोविज्ञान

- 1. कु. ललिता साहू

वाणिज्य संकाय

वाणिज्य

- 1. स्वाति शर्मा
- 2. पारूल सौराज
- 3. दीपक शर्मा

शारीरिक शिक्षा संकाय

शारीरिक शिक्षा

- 1. मिथलेश कुमार सिंह

विज्ञान संकाय

रसायन

- 1. कु. सुषमा साहू
- 2. सुषमा यादव
- 3. कु. प्रिन्सी दुग्गा
- 4. कु. अनुश्री साहा
- 5. भुनेश्वरी साहू

भौतिक

- 1. एकता चंद्रवंशी

गणित

- 1. रेणुका साहू

भूगोल

- 1. रोली मनु परगनिहा
- 2. दीपांकर बेरा

जीव विज्ञान संकाय

वनस्पति शास्त्र

- 1. श्रीमती मधुलिका पाण्डव

टेक्नालॉजी संकाय

फार्मसी

- 1. राकेश तिर्की